संख्या-27/2016/773 ई-1/तेरह-2016-127(6)/2004

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊ:: दिनांकः 09 जून, 2016

विषयः- आबकारी विभाग के निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुए वाहन के स्थान पर नये प्रतिस्थानी वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- सी 462 /एक-16(गाड़ी)/वाहन क्रय] दिनांक 18 मई, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आबकारी विभाग के निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुए वाहन संख्या- यू0पी0 70 वाई/7117 (अम्बेस्डर कार) के प्रतिस्थापन स्वरूप मारूति सुजुकी इण्डिया लि0 की मारूति सियाज वी0एक्सआई (यूरो -4 कम्प्लायन्ट) को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के शासनादेश संख्या- 1/2015/403/18-2-15-125(ल0उ0)/2014 दिनांक 22 मई, 2015 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट पर समस्त चार्जेज सहित क्रय किये जाने हेतु कुल रू0 7,63,433/- (रूपये सात लाख तिरसठ हजार चार सौ तैंतीस मात्र) को व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

3. उक्त वाहन का क्रय समय-समय पर वाहन क्रय के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित् करते हुए डी.जी.एस. एण्ड डी. रेट कान्ट्रैक्ट की दर के अनुसार किया जायगा तथा क्रय किये जाने वाले वाहन की गुणवत्ता तथा डी.जी.एस. एण्ड डी. दरों की वैधता सुनिश्चित् कर ली जायेगी। यह भी सुनिश्चित् किया जायेगा कि निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर पूर्व में नया वाहन न क्रय किया गया हो। किसी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. उक्त धनराशि को व्यय करने में शासनादेश संख्या–18/2016/557 ई-1/तेरह-2016-18/2016 दिनांक 07 अप्रैल, 2016 तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दी गयी शर्तों/निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित् किया जायेगा।

5. उक्त वाहन के क्रय पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-01-लेखाशीर्ष-"2039 राज्य उत्पाद शुल्क-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधीक्षण-14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-213/दस-2016 दिनांक 09 जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव।

संख्या-27/2016/773 (1) ई-1/तेरह-2016-127(6)/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9.
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1.
6. बजट पत्रावली, आबकारी अनुभाग-1
7. आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।